(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का पृथक साक्षात्कार— (१) जब उपर्युक्त उप-कंडिका (ख) या (ग) या (घ) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा से अन्यथा सीधी भर्ती करनी हो, तो अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उस दिन या चयन समिति की उस बैठक में किया जायगा जिस दिन या जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं करना हो, ताकि अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में सामान्य उम्मीदवारों से उनकी तुलना न की जा सके। तथा साक्षात्कार प्राधिकार/बोर्ड अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जतयों में उम्मीदवारों का शैथिल्यकृत मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करने की आवश्यकता से भलीभांति अवगत हो।

(१) साक्षात्कार के साथ परीक्षा के जरिये की गई सीधी भर्ती में भी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उपर्युक्त उप-कंडिका (१) में बताई गई सामान्य जाति से पृथक दिन या चयन समिति की बैठक के दिन किया।

(च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति— यदि उपर्युक्त उप-कंडिका (क), (ख) या (ग) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार चयन के लिए लंबित किसी आरक्षित रिक्ति को भरना आवश्यक हो, तो उपम ऐसी आरक्षित रिक्ति में, यथास्थिति, अनुसूचित जन-जातियों या अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति कर सकता है।

१०। आरक्षणों का अग्रनीत और व्यपगत होना— यदि किसी वर्ष विशेष में आरक्षित रिक्तियों के लिए सम्बन्धित वर्गों से कोई उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो उस वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां अनारक्षित रिक्तियों के रूप में मानी और भरी जायेंगी किन्तु आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों से वरिष्ठ पंक्ति के प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती की संख्या में जो कमी रह गई हो उसको उस वर्ष अग्रनीत किया जायेगा। आरक्षण के अंतिम रूप से व्यपगत हो जाने के पूर्व भर्ती के पश्चात तीन भर्ती वर्षों तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की संख्या में ऐसी भर्ती में जो कमी रही हो उसे अग्रनीत किया जायेगा। किन्तु किसी भी भर्ती वर्ष में सामान्य आरक्षित रिक्तियों और अग्रनीत रिक्तियों की संख्या मिलकर कुल रिक्तियों के ४५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फिर भी, यदि मात्र दो ही रिक्तियां हों, तो उनमें से एक को आरक्षित रिक्ति माना जायेगा। ४५ प्रतिशत से फाजिल जो रिक्तियां होंगी उनको भर्ती के पश्चात भर्ती वर्ष में अग्रनीत किया जायेगा, बशर्ते कि जो खास रिक्तियां अग्रनीत की जाए वे तीन वर्ष से अधिक हो जाने के कारण कालावधित न हों। जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियां केवल सम्बद्ध समुदाय के लिए आरक्षित मानी जाती रहे, वहां जिस वर्ष रिक्ति अग्रनीत की जाय उसके तीसरे वर्ष में भी यदि वह रिक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से न भरी जा सकती हो तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जायेगा। ऐसी रिक्ति को, जो तृतीय वर्ष में अग्रनीत की गई हो, विज्ञापित या अधिसूचित करते समय विज्ञापन/अध्यपेक्षा में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित है, किन्तु अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार भी नियुक्ति के पात्र होंगे। यह व्यवस्था अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में भी उसी प्रकार लागू होगी।

११। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए छूट और रियायतें—(१) उम्र-सीमा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की दशा में ऐसी किसी सेवा में या पदों पर नियुक्ति के लिए विहित अधिकतम उम्र-सीमा ५ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी।

(२) मानदण्ड को शिथिल करना—यदि परीक्षा के जरिए या अन्यथा सीधी भरती के मामले में अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्ड के आधार पर उक्त जातियों के उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों को चुना

जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न पाये जायं। दूसरे शब्दों में, जिस हद तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य मानदण्ड के आधार पर भरी न जा सकी हो उस हद तक इन समुदायों के उम्मीदवारों को मानदण्ड शिथिल करके ले लिया जायेगा ताकि आरक्षित कोटा की कमी को पूरा किया जा सके, बशर्ते कि ये उम्मीदवार उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हों। यदि परीक्षा के जरिये भर्ती की जाय और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार सामान्य मानदण्ड के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने कुल अंकों का कम-से-कम ३३॥ प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, आरक्षित कोटा की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

१२। <u>अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के दावे की जांच</u> – नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों में से किसी एक को पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं :—

(१) प्रवेशिका या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र या जन्म का प्रमाण-पत्र, जिसमें उम्मीदवार की जाति या समुदाय और निवास स्थान दिया रहे।

(२) परिशिष्ट ञ में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का कोई उम्मीदवार किसी विहित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पेश करने में असमर्थ हो तो वह अपने दावे के समर्थन में जो भी प्रथम दृष्टया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, उसी के आधार पर औपबंधिक रूप से उसकी नियुक्ति की जायेगी, किन्तु उसको समुचित समय के भीतर इस आशय का एक विहित प्रमाण-पत्र देना हो या यदि उसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई वास्तविक कठिनाई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट के जरिये उसके दावे की जांच स्वयं कर लेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी, यदि किसी कारणवश यह आवश्यक समझे तो वह वहां के जिला मजिस्ट्रेट के जरिये उम्मीदवार के दावे की जांच कर सकता है, जहां वह उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता हो। यदि किसी खास मामले में जांच से यह पता चले कि उम्मीदवार का दावा गलत है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

१३। **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की परिभाषा और सूचियां** — अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के रूप में घोषित समुदायों की एक सूची परिशिष्ट 'ट' में दी गई है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो हिन्दू या सिख धर्म से भिन्न कोई धर्म मानता हो, अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जायेगा। अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्ति के अधिकार उसकी धार्मिक आस्था से अलग है।

यदि अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति बौद्ध या कोई अन्य धर्म ग्रहण कर ले तो वह उस जाति का सदस्य नहीं रह जायेगा। ऐसा व्यक्ति आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए या अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दी गई अन्य सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

लेकिन यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का कोई व्यक्ति गैर-अनुसूचित जातियों / जन-जातियों में विवाह कर ले, तो भी वह उस जाति का सदस्य समझा जाता रहेगा।

ऐसे उस मामले को जिसमें यह संदेह उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति / जन-जाति का है या नहीं कार्मिक विभाग को निर्देश किया जाय।

## सम्पर्क पदाधिकारी

१४। हरेक उपक्रम में, प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी (या इसके प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट कोई अन्य पदाधिकारी) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित मामलों के बारे में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे खास तौर से निम्न के बारे में जिम्मेवार होंगे :—

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के बारे में आदेशों और अनुदेशों के उचित पालन और उसे निदेश के अनुसार उनको अनुमान्य अन्य लाभों को सुनिश्चित करना।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी एकत्र करना, समेकित करना तथा भेजना।

(iii) उपक्रम और सम्बद्ध विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना, अन्य जानकारी देना, प्रश्नों तथा पृच्छाओं का उत्तर देना तथा इन आदेशों के जरिये सम्बद्ध विषयों के बारे में संदेह दूर करना।

आपकी कम्पनी के लिए नियुक्त सम्पर्क पदाधिकारी का नाम इस विभाग को संसूचित किया जाय। सम्पर्क पदाधिकारी के नियन्त्रणाधीन एक ऐसा कोष्ठ (सेल), जिसमें उपयुक्त संख्या में सहायक रहेंगे, का भी गठन किया जाय ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों और अभिवेदनों पर तुरत सुनिश्चित तौर पर निपटारा किया जा सके जो कोष्ठ (सेल) मुख्यतः संपर्क पदाधिकारी को अपने कर्त्तव्यों का कारगर ढंग से संपादन करने में सहायता करेगा।

५। यह देखने के लिए कार्रवाई की जाय कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख और निजी संचिकाएं सभी प्रकार से पूर्ण है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें यह जानकारी भी दी रहे कि उन पर लागू होनेवाले नियमों का लाभ उनको मिल सकता है।

६। अनुरोध है कि इस निदेश के उपबन्धों को लागू करने के लिए तुरत कार्रवाई की जाय।

२१ कार्मिक....१५

विश्वासभाजन,

परिशिष्ट 'क'

| क्रम सं० । | प्रमंडल एवं जिला का नाम । | आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जाति । | अनुसूचित जन-जाति । |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | पटना प्रमण्डल .... .... | १४ | शून्य |
| १ | पटना .... .... .... | १४ | शून्य |
| २ | गया .... .... .... | १४ | शून्य |
| ३ | शाहाबाद .... .... .... | १४ | शून्य |
| | तिरहुत प्रमण्डल .... | १४ | शून्य |
| ४ | सारण .... ... .... | ११ | शून्य |
| ५ | चम्पारण ... .... .... | १४ | शून्य |
| ६ | मुजफ्फरपुर .... .... .... | १४ | शून्य |
| ७ | दरभंगा .... .... .... | १४ | शून्य |
| | भागलपुर प्रमण्डल .... ... | १२ | १० |
| ८ | मुंगेर .... .... .... | १४ | २ |
| ९ | भागलपुर .... .... .... | १२ | ७ |
| १० | सहरसा .... .... .... | १४ | २ |
| ११ | पूर्णियाँ .... .... .... | १२ | ५ |
| १२ | संथाल परगना .... .... | ६ | २२ |
| | छोटानागपुर प्रमण्डल .... .... | १० | १६ |
| १३ | हजारीबाग .... .... ... | ११ | १० |
| १४ | रांची ... ... .... | ४ | ३० |
| १५ | पलामू .... .... .... | १४ | १० |
| १६ | धनबाद .... .... .... | १४ | १० |
| १७ | सिंहभूम .... .... .... | ३ | २४ |

परिशिष्ट 'ख'

प्रपत्र १

विभाग/कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विवरण जैसा कि १ जनवरी ........... को था।

| पद श्रेणी का नाम। | कुल संख्या | अनुसूचित जातियों | | अनुसूचित जन-जातियों | | अन्य समुदाय के व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत। | अभ्युक्ति। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (क) संख्या। | (ख) प्रतिशत। | (क) संख्या | (ख) प्रतिशत। | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६ | ७ |
| श्रेणी—१ | | | | | | | |
| श्रेणी—२ | | | | | | | |
| श्रेणी —३ | | | | | | | |
| श्रेणी—४ | | | | | | | |
| (मेहतर श्रेणी-४ में न रखे जायं उनके संबंध में अलग से विवरण दिया जाय।) | | | | | | | |
| कुल योग .... | | | | | | | |

परिशिष्ट 'ग'

प्रपत्र-२

विभाग / कार्यालय के नाम.... .... .... .... .... .... ... .... .. . .... .... ....

१९....वर्ष में की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवरण

| पदों की श्रेणी | वर्ष के दरमियान | | | | अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण | | | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी १, २, ३, ४ (मेहतर श्रेणी-४ में न रखे जायं। इनके सम्बन्ध में अलग से विवरण दिया जाय।) | भरे गए कुल पद। | पिछले वर्ष की अग्रनीत रिक्तियां। | रिपोर्ट गत वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या। | स्तम्भ ३ और ४ का जोड़। | रिपोर्ट गत वर्ष में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या। | व्यपगत रिक्तियों की संख्या। | ऐसी आरक्षित रिक्तियां जिन पर गैर-अनुसूचित जातियों के लोग नियुक्त किये गए। | कृपया बताएं कि किन कारणों से अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। क्या इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| श्रेणी—१ | | | | | | | | |
| श्रेणी—२ | | | | | | | | |
| श्रेणी—३ | | | | | | | | |
| श्रेणी—४ | | | | | | | | |

परिशिष्ट 'अ'

प्रपत्र—१

विभाग/कार्यालय का नाम ..................................................

१९... ... वर्ष में की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवरण ।

| पदों की श्रेणी | अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण | | | | | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी १, २, ३, ४ (मेहतरकों को ४ में न रखें जायं। इनके सम्बन्ध में अलग से विवरण दिया जाय) | वर्ष के दरमियान भरे गए कुल पद । | पिछले वर्ष की अग्रनीत रिक्तियां । | रिपोर्ट गत वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या । | स्तम्भ ३ और ४ का जोड़ । | रिपोर्ट गत वर्ष में नियुक्त किये गये अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या । | व्यपगत रिक्तियों की संख्या । | ऐसी आरक्षित रिक्तियां जिन पर गैर-अनुसूचित जन-जातियों के लोग नियुक्त किये गए । | कृपया बताएं कि किन कारणों से अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पद पर गैर-अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। क्या इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| श्रेणी—१ | | | | | | | | |
| श्रेणी—२ | | | | | | | | |
| श्रेणी—३ | | | | | | | | |
| श्रेणी—४ | | | | | | | | |

परिशिष्ट "प"

प्रपत्र—४

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिये प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विवरण —३१ दिसम्बर तक की स्थिति।

| श्रेणी का नाम | प्रोन्नति के बाद उपलब्ध पदों की संख्या। | अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या। | अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या। | अन्य जातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या। | अनुसूचित जातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या। | अनुसूचित जन-जाति के प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या। | अन्य जातियों के प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या। | बिना पारी के कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई। | बिना पारी के कितने अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई। | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के नियत आरक्षण कोटे के अनुसार नियुक्ति न होने का कारण। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |

परिशिष्ट 'ख'

नियोजनालय में रिक्तियों की अधिसूचना के लिए फारम।

१. नियोजक का नाम और पता—

२. नियोजन की टेलिफोन संख्या, यदि हो

३. रिक्ति का स्वरूप —

( क ) पदनाम

( ख ) कर्त्तव्यों का विवरण

( ग ) अपेक्षित अर्हतायें

( i ) अत्यावश्यक

( ii ) वांछनीय

( घ आयु-सीमा, यदि हो,

( ङ.) क्या महिलायें इसके लिये पात्र हैं ?

४. रिक्तियों की संख्या

५. अस्थायी या स्थायी

६. वेतन तथा भत्ते

७. कार्य स्थान (शहर/गांव तथा जिला का नाम जहां यह अवस्थित है)।

८. यदि स्थानान्तरित होने योग्य है तो वह क्षेत्र जहां स्थानान्तरण संभव है।

९. किस संभावित तारीख तक रिक्ति की पूर्ति हो जानी चाहिए

१०. आवेदकों के साक्षात्कार / जांचसम्बन्धी विवरण —

( क ) साक्षात्कार/जांच की तारीख

( ख ) साक्षात्कार/जांच का समय

( ग ) साक्षात्कार/जांच का स्थान

( घ ) उस व्यक्ति का पदनाम तथा पता जिनके पास आवेदकों को रिपोर्ट करनी चाहिये

११. क्या रिक्तियां भरने में व्यक्तियों की किसी कोटी को प्राथमिकता देने के लिए कोई बाध्यता या प्रबंध है ?

१२. आरक्षित रिक्तियों की संख्या —

( क ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए

( ख ) अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए

१३. कोई अन्य सुसंगत सूचना।

## परिशिष्ट 'ञ

---

निम्नलिखित पदाधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र देने का आदेश है :—

(१) जिला दण्डाधिकारी
(२) अवर प्रमंडल पदाधिकारी
(३) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी/तथा सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी
(३) प्रखंड विकास पदाधिकारी
(५) अंचल अधिकारी
(६) अंचल पदाधिकारी
(७) प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी
(८) जिला कल्याण पदाधिकारी
(९) अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी

---

## परिशिष्ट 'ट'

### अनुसूचित जाति की सूची

१. सारे राज्य में—

(१) बाउरी, (२) बंतरा, (३) भोगता, (४) चमार या मोची- (५) चौपाल, (६) धोबी, (७) डोम या धांगर (८) दुसाध, धाड़ी या धाड़ी (९) घासी, (१०) हलालखोर, (११) हाड़ी, मेहतर या भंगी, (१२) कंजर, (१३) कुररियाड़, (१४) लालबेगी, (१५) दबगर; (१६) मुसहर (१७) नट, (१८) पान या सवासी, (१९) पासी, (२०) रजवार, (२१) तुरी।

२. पटना और तिरहुत डिविजन और मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और पलामू जिलों में 'भूमिज्ञ्न,

३. पटना, गया, शाहाबाद और पलामू, जिलों में भुइयां

### अनुसूचित जन-जाति की सूची

१. सारे राज्य में :—

(१) असुर, (२) बैगा, (२) (क) बनजारा, (३) बथुदी, (४) बेदिया, (५) बिझिया, (६) बोरहोर, (७) बीरजिया, (७) चेरो, (०) चीक बराईक, (१०) गोंड, (११) गोड़ईत; (१२) हो, (१३) करमाली, (१४) खड़िया, (१५) खरवार, (१६) खोंद, (१७) किसान, (१८) कोड़, (१९) कोरवा, (२०) लोहारा या लोहरा, (२१) मल्ली, (२२) माल पहाड़िया, (२३) मुंडा, (२४) उरांव, (२५) परहै, (२६) संथाल, (२७) सोरिया पहाड़िया, (२८) सवर।

(२) रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, संथालपरगना और धनबाद जिलों में 'भूमिज'

पत्र संख्या ३/एम-२-१०२४/७२—१२४८३-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलायुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

२६ श्रावण, १८९५ (श०)
पटना-१५, दिनांक ————————
१७ अगस्त, १९७ ।

विषय— १९७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की दिखलाई गई जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पुनरीक्षण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपर्युक्त विषयक संकल्प संख्या का ५३०५, दिनांक १० अप्रील, १९७३ (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि टंकण भूल के कारण विवरणी १ एवं विवरणी २ में कई अशुद्धियां हो गई हैं जिन्हें निम्न रूप से शुद्ध किया जाय :—

विवरणी १

| | | | | अनुसूचित जाति । | अनुसूचित जन-जाति । |
|---|---|---|---|---|---|
| भागलपुर प्रमंडल | .... | .... | .... | १२ | १० |

विवरणी २

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| हजारीबाग | .... | .... | .... | २८ | २२ |
| गिरिडीह .... | .... | .... | .... | २८ | २२ |
| धनबाद .... | .... | .... | .... | ३० | २० |
| सिंहभूम .... | .... | .... | .... | ४ | ४६ |

२. जैसा कि आपको ज्ञात है, नियुक्तियां रोस्टर को ध्यान में रखते हुए करनी है। आरक्षण के प्रतिशत के पुनरीक्षण के फलस्वरूप नया रोस्टर तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। विवरणी (क) रोस्टर विवरणी एक में दिखलाये गये प्रतिशत के आधार पर तैयार किया गया है।

३. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका ३ में कहा गया है कि जबतक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिए निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तबतक उनके लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की रिक्तियों का ५० प्रतिशत आरक्षित रहेगा। विवरणी (ख) रोस्टर राज्य स्तर पर की जानेवाली नियुक्तियों के संबंध में तैयार किया गया है एवं विवरणी (ग) रोस्टर मंडलों एवं जिलों में होनेवाली नियुक्तियों (विवरणी २) के संबंध में तैयार किया गया है। राज्य स्तर पर होनेवाली नियुक्तियों के लिये रोस्टर की परिपत्र संख्या ३/एस २-१४३/७०-४६९-नि०, दिनांक १२ जनवरी, १९७१ द्वारा पहले ही आपको भेज दी गई है तो भी एक प्रति (विवरणी घ) संलग्न है।

४. इस पत्र की प्रति अपने सभी अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को मार्गदर्शन के लिए भेज दी जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि रोस्टर को ध्यान में रखकर ही नियुक्तियां करें। उनका ध्यान नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या १३४२८, दिनांक ११ नवम्बर, १९५८ की ओर भी आकर्षित किया जाए जिसमें कहा

गया है कि अगर आरक्षित पदों पर गैर-समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति की जायगी और उसके लिए पर्याप्त कारण न रहेंगे तो सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी को निन्दन की सजा दी जायगी। नियुक्ति विभाग के पत्र सं० नि० वि०-१३२८३, दिनांक ६ अगस्त, १९७० के अनुसार अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आरक्षित पद पर गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को नियुक्त करना आवश्यक हो जाए तो कार्मिक विभाग की पूर्व सम्मति से ही नियुक्ति की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

———

ज्ञाप संख्या... ......

पटना-१५, दिनांक....जून, १९७३।

प्रतिलिपि—अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् एवं कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

गोविन्द मेहता,

सरकार के उप-सचिव।

———

सं० ५३०५-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

## संकल्प

१० अप्रील १९७३

विषय— १९७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की दिखलाई गई जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पुनरीक्षण।

राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीति नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या III ३-ए०—६-५०-ए०— ६९०८, दिनांक १३ नवम्बर, १९५३ में विनिहित की गई थी। इस संकल्प के अनुसार राज्य सरकार ने १९५१ की जनगणना के आधार पर यह विनिश्चय किया था कि जिन पदों पर राज्य आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाती है उनका साढ़े १२ प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए और १० प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। फिर १९६१ की जनगणना के आधार पर संकल्प संख्या १९८६७, दिनांक २२ नवम्बर, १९७० द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण साढ़े १२ प्रतिशत से बढ़ कर १४ प्रतिशत कर दिया गया एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत पूर्ववत १० ही रखा गया। अब १९७१ की जनगणना के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यद्यपि अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का ८.७५ प्रतिशत ही है तथापि उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत पूर्ववत १० प्रतिशत ही रहेगा, क्योंकि सेवा में इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में १९६१ की तुलना में १९७१ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए उनके लिए निर्धारित १४ प्रतिशत ही चालू रहेगा।

२. प्रमंडलों एवं जिलों में होनेवाली रिक्तियों के सम्बन्ध में १९५३ में १९५१ की जनगणना के आधार पर एक विशेष फार्मूला द्वारा प्रत्येक प्रमंडल एवं जिले के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया था। १९६१ की जनगणना के आधार पर इस प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब यह निश्चय किया गया है कि आरक्षण का प्रतिशत यथासंभव १९७१ की जनगणना के अनुसार सम्बद्ध प्रमंडलों एवं जिलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाय। तदनुसार प्रत्येक प्रमंडल एवं जिले के लिये संलग्न विवरणी १ में उल्लिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

३. यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब तक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तबतक उनके लिये तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों की रिक्तियों का ५० प्रतिशत आरक्षित रहेगा। राज्य आधार पर की जानेवाली नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों के लिये ३० प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिये २० प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रखी जायेंगी। जहाँ तक प्रमंडलों एवं जिलों का प्रश्न है विवरणी २ में उल्लिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

४. नियुक्ति विभाग के १९५३ के उपर्युक्त संकल्प के अनुसार जिस प्रमंडल या जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या १ प्रतिशत से कम थी वहाँ आरक्षण का उपबन्ध नहीं था। अब यह विनिश्चय किया गया है कि अगर किसी प्रमंडल या जिले में उनकी जनसंख्या १,००० से कम हो तो वहाँ आरक्षण न रहेगा।

आदेश— अत: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

---

ज्ञाप संख्या ३/एस-२ – १०२४/७२—५३०५-का०

२० चैत्र, १८९५ (श०)
पटना-१५, दिनांक————
१० अप्रील, १९७३।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् एवं कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव।

---

ज्ञाप संख्या ३/एस-२ - १०२४/७२-का०-५३०५

पटना-१५, दिनांक १० अप्रील, १९७३।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशन के लिये अग्रसारित।

२. इसकी ५०० अतिरिक्त प्रतियाँ कार्मिक विभाग को शीघ्र भेज दी जायं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप सचिव।

विवरणी १

## आरक्षित प्रतिशत

| क्रम संख्या | प्रमण्डल एवं जिले का नाम। | | अनुसूचित जाति। | अनुसूचित जन-जाति। |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ |
| | **पटना प्रमंडल** .... | .... | २० | १ |
| १ | पटना ... | .... | १७ | १ |
| २ | नालन्दा ... | ... | १७ | शून्य |
| ३ | गया ... | ... | २५ | १ |
| ४ | औरंगाबाद .... | .... | २५ | शून्य |
| ५ | नवादा ... | .... | २५ | १ |
| ६ | शाहाबाद .... | .... | १७ | शून्य |
| ७ | रोहतास ... | .... | १७ | १ |
| | **तिरहुत प्रमंडल** .... | .... | १४ | १ |
| ८ | सारण .... | .... | ११½ | १ |
| ९ | सीवान ... | ... | ११½ | शून्य |
| १० | पूर्वी चम्पारण .... | ... | १४½ | शून्य |
| ११ | पश्चिमी चंपारण ... | .... | १४½ | १ |
| १२ | मुजफ्फरपुर .... | ... | १६ | शून्य |
| १३ | सीतामढ़ी ... | .... | १६ | शून्य |
| १४ | वैशाली ... | ... | १६ | शून्य |
| १५ | दरभंगा .... | .... | १५ | शून्य |
| १६ | समस्तीपुर ... | .... | १५ | शून्य |
| १७ | मधुबनी .... | ... | १५ | शून्य |
| | **सहरसा प्रमंडल** ... | .... | १५ | ३ |
| १८ | पूर्णियाँ .... | ... | ११½ | ४ |
| १९ | सहरसा ... | .... | १७ | १ |
| २० | बेगूसराय ... | .... | १५½ | शून्य |
| | **भागलपुर प्रमंडल** | .... | १२ | १० |
| २१ | मुंगेर ... | ... | १५½ | २ |
| २२ | भागलपुर ... | ... | ११ | ४ |
| २३ | संथाल परगना ... | .... | ८ | ३६½ |
| | **छोटानागपुर प्रमंडल** | .... | ११ | ३१ |
| २४ | हजारीबाग ... | ... | १२½ | ११ |
| २५ | गिरिडीह ... | ... | १२½ | ११ |
| २६ | रांची .... | .... | ५ | ४६ |
| २७ | पलामू ... | ... | २५½ | २० |
| २८ | धनबाद ... | .... | १५½ | ११ |
| २९ | सिंहभूम .... | ... | ४ | ४५ |

विवरणी २

आरक्षित प्रतिशत

| क्रम संख्या | प्रमंडल एवं जिले का नाम | अनुसूचित जाति। | अनुसूचित जन-जाति। |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | **पटना प्रमण्डल** | ४८ | २ |
| १ | पटना | ४८ | २ |
| २ | नालन्दा | ५० | शून्य |
| ३ | गया | ४८ | २ |
| ४ | औरंगाबाद | ५० | शून्य |
| ५ | नवादा | ५० | शून्य |
| ६ | शाहाबाद | ५० | शून्य |
| ७ | रोहतास | ४७ | ३ |
| | **तिरहुत प्रमण्डल** | ४८ | २ |
| ८ | सारण | ४८ | २ |
| ९ | सीवान | ५० | शून्य |
| १० | पूर्वी चम्पारण | ५० | शून्य |
| ११ | पश्चिमी चम्पारण | ४७ | ३ |
| १२ | मुजफ्फरपुर | ५० | शून्य |
| १३ | सीतामढ़ी | ५० | शून्य |
| १४ | वैशाली | ५० | शून्य |
| १५ | दरभंगा | ५० | शून्य |
| १६ | समस्तीपुर | ५० | शून्य |
| १७ | मधुबनी | ५० | शून्य |
| | **सहरसा प्रमण्डल** | ४४ | ६ |
| १८ | पूर्णिया | ४२ | ८ |
| १९ | सहरसा | ४८ | २ |
| २० | बेगूसराय | ५० | शून्य |
| | **भागलपुर प्रमण्डल** | ३० | २० |
| २१ | मुंगेर | ४६ | ४ |
| २२ | भागलपुर | ४२ | ८ |
| २३ | संथालपरगना | १० | ४० |
| | **छोटानागपुर प्रमण्डल** | १४ | ३६ |
| २४ | हजारीबाग | २८ | २२ |
| २५ | गिरिडीह | २८ | २२ |
| २६ | रांची | ५ | ४५ |
| २७ | पलामू | २८ | २२ |
| २८ | धनबाद | ३० | २० |
| २९ | सिंहभूम | ४ | ४६ |